

## न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी  
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 19/2022

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि० ( पूर्व नाम एयू फाईनेंसर्स ( इण्डिया ) लि० ) रजि० कार्यालय 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर- 302001, राज० जरिये प्राधिकृत अधिकारी महिपाल सिंह पुत्र छितरमल उम्र 38 साल

— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मैसर्स शर्मा कॉफी सेन्टर जरिये प्रोपराईटर जितेन्द्र शर्मा, पता रोडवेज बस स्टेण्ड, झुंझुनू, कस्बा झुंझुनू, तहसील व जिला झुंझुनू- 333001
2. जितेन्द्र शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा, उम्र 32 साल,
3. सुरेश कुमार पुत्र गोरधनदास, उम्र 53 साल, निवासी वार्ड नं० 30, मुस्लिम स्कूल के पास, मौहल्ला महाब्रह्मगान, कस्बा झुंझुनू, तहसील व जिला झुंझुनू- 333001

Also at – सुरेश शर्मा, प्रोपर्टी आबादी भूमि एट ख०न० 373, पट्टा नं० 100, बुक नं० 213, संकल्प नं० 05, ग्राम देरवाला, ग्राम पंचायत देरवाला, तहसील व जिला झुंझुनू।

राकेश पुत्र बिहारी लाल, उम्र 39 साल, निवासी वार्ड नं० 30, मुस्लिम स्कूल के पास, कस्बा झुंझुनू, तहसील व जिला झुंझुनू।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अधि० 14 सिक्क्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002


उपस्थित:-

1. एडवोकेट श्री मनोज कुमार वर्मा ( एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि० ) – प्रार्थी बैंक की ओर से
2. अप्रार्थीगण सं० 1 लगायत 4 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 08.06.2022

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि० के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण के पक्ष में उनके आवेदन पर क्रेडिट सुविधा/वित्तीय सुविधा/टर्म लोन ( बिजनेस/कंस्ट्रक्शन लोन ) के पेटे 4,30,000/-रुपये अक्षरे चार लाख तीस हजार रुपये की ऋण सुविधा खाता सं० L9001060118824321 दिनांक 30.09.2019 को प्रदत्त की गयी थी। इस हेतु ऋणी/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। उक्त ऋणी राशि प्रतिभूति करार के तहत निम्न प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है – अचल संपत्ति – प्रोपर्टी आबादी भूमि एट ख०न० 373, पट्टा नं० 100, बुक नं० 213, संकल्प नं० 05, ग्राम देरवाला, ग्राम पंचायत देरवाला, तहसील व

  
जिला कलक्टर झुंझुनू

जिला झुंझुनूं नपति 150 वर्ग गज अप्रार्थी सुरेश कुमार के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है-

पूरब में	खाली जमीन ब्राह्मणों की	पश्चिम में	खाली जमीन अन्य की
उत्तर में	आम रास्ता व खुद की जमीन	दक्षिण में	सरकारी भूमि

अप्रार्थीगण के द्वारा समय पर ऋण व ब्याज चुकाने में चूक करने पर ऋणी के खाते को प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 10.02.2021 को अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। प्रार्थी बैंक द्वारा मांग नोटिस दिनांक 31.05.2021 द्वारा अध्याय 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन एक्ट 2002 के तहत प्रेषित कर 60 दिवस के बकाया ऋण राशि 4,96,557/रु0 अक्षरे चार लाख छियानवे हजार पांच सौ सतावन रूपए मय ब्याज व खर्चा दिनांक 10.02.2021 से भुगतान करने की मांग की। श्रीमान को उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रतिभूति आस्ति को अपने कब्जे/नियंत्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार बैंक को सुपर्द करने का अधिकार प्राप्त है। उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए संपत्ति को भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है, जिससे उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। गिरवीकृत संपत्ति जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में अवस्थित है- प्रोपर्टी आबादी भूमि एट ख0न0 373, पट्टा नं0 100, बुक नं0 213, संकल्प नं0 05, ग्राम देरवाला, ग्राम पंचायत देरवाला, तहसील व जिला झुंझुनूं नपति 150 वर्ग गज अप्रार्थी सुरेश कुमार के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है-

पूरब में	खाली जमीन ब्राह्मणों की	पश्चिम में	खाली जमीन अन्य की
उत्तर में	आम रास्ता व खुद की जमीन	दक्षिण में	सरकारी भूमि

उक्त गिरवीकृत संपत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा रोक नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गिरवीकृत संपत्ति को रहने वालो से खाली करवा कर भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाया जावे जिससे एक्ट के प्रावधानानुसार संपत्ति से बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 4 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 4 के विरुद्ध एकपक्षीय बहस सुनी गई।


हमने प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के

  
जिला झुंझुनूं नपति

लोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफॉसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पत्ति अप्रार्थी सं० 3 सुरेश कुमार के मालिकाना हक की प्रोपर्टी आबादी भूमि एट ख०न० 373, पट्टा नं० 100, बुक नं० 213, संकल्प नं० 05, ग्राम देरवाला, ग्राम पंचायत देरवाला, तहसील व जिला झुंझुनूं नपति 150 वर्ग गज भूमि व निर्मित सम्पत्ति का पजेशन प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 08.06.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( एल०एस०कुडी )  
जिला कलक्टर एवं  
जिलामजिस्ट्रेट, झुंझुनूं